न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 21 / 2022

उनवान

रामदेव पुत्र उगमा जाति जाट नि0 धोलादांता देराठू, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. ग्यारसी पत्नी रामचन्द्र,
2. गोपाल पुत्र छोटू,
3. पप्पू पुत्र छोटू,
4. बबलू पुत्र रामसुख,
5. भागचन्द पुत्र रामसुख,
6. माया पुत्री हनुमान ,
7. लालचन्द पुत्र रामचन्द्र,
8. लाली पुत्री छोटू,
9. शारदा पुत्री रामसुख,
10. शिवजी पुत्र हनुमान,
11. सुरेश पुत्र रामसुख,
12. सीता पुत्री रामसुख
13. हीरा पत्नी रामसुख,
14. हीरा पत्नी हनुमान समस्त जाति भांबी नि0 देराठू, नसीराबाद,
15. मैनेजर ओरिऐन्टल बैंक आफॅ कार्मस सनोद,
16. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 14 जरियें अधिवक्तजा श्री सीताराम रावत
16 जरियें राज0 पैरोकार

17. काना पुत्र उगमा,
18. उमराव पुत्र उगमा,
19. रामधन पुत्र उगमा जाति जाट नि0 धोलादांता देराठू, नसीराबाद

—— परफोर्मा अप्रार्थीगण :– अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सी.पी. सी.

–: आदेश :– दिनांक :– 12.4.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू की निमन आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3747	1.29	1435	1.29
3748	1.20	1436	1.20

वंर्किग खसरा नम्बर 3747 की आराजी नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 18.05.1995 कैम्प देराठू में प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। तब से ही प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु दौराने बंदाबस्त हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गयी जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 14 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरो का वर्णन त्रुटिपूर्ण है। आराजी मुतनाजा का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3561	26–7–10	3747	16–7–10	1432	0.38
				1433	0.91
				1434	1.35
				1434/7479	0.01
		3748 मिन	10–0–0	1436	1.20
				1435	1.29
3562	3–10–0				
3564	4–10–0				

उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 3747 रकबा 16–7–10 काना, उमराव, रामदेव, रामधन पि0 उगमा कौम जाट के नाम दिनांक 23.06.1984 को आवंटन हुयी जो प्रकरण में प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण है तथा उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.38, 1433 रकबा 0.91, 1434 रकबा 1.35 व 1434/7479 रकबा 0.01 बने है जो हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के नाम अंकित है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के पूर्वज छोटू, रामचन्द्र, रामसुख पि0 मांगू कौम भांबी के नाम चौसाला खसरा नम्बर 3561 के वंर्किग खसरा नम्बर 3748 रकबा 10–0–0 व चौसाला खसरा नम्बर 3562 के वंर्किग खसरा नम्बर 3748 रकबा 0–18–0 व चौसाला खसरा नम्बर 3564 के वंर्किग खसरा नम्बर 3748 रकबा 4–10–0 की आराजी उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 07.07.1984 को नियमन की गयी। उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 373 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम अंकित की गयी। जवाबकर्ता की आराजी के हाल खसरा नम्बर 1435 रकबा 1.29 व 1436 रकबा 1.20 है जिस पर जवाबकर्ता खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पर जवाबकर्ता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। दावाकृत आराजी पर प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया ... अधि... ... बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अ... वंर्किग खसरा नम्बर 3747 रकबा 16–7–10 काना, उमराव, रामदेव व ... जो नामान्तकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

से आवंटित कर राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी दर्ज की गयी। इसी प्रकार नामान्तकरण ख्या 373 से वंर्किग खसरा नम्बर 3748 रकबा 15–8–0 छोटू, रामचन्द्र, रामसुख पि. मांगू के ाम आवंटित कर राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी दर्ज किया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 3747 रकबा 16–7–10 के हाल खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.38, 1433 रकबा 0.91, 1434 रकबा 1.35 व 1434/7479 रकबा 0.01 बने है जो प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के नाम हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसी प्रकार वंर्किग खसरा नम्बर 3748 के हाल खसरा नम्बर 1435 रकबा 1.29 व 1436 रकबा 1.20 बने है जो हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि हाल खसरा नम्बर 1435 के वंर्किग खसरा नम्बर 3747 थे। जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि हाल खसरा नम्बर 1435 वंर्किग खसरा नम्बर 3748 से बना है। इस संबध में दोनो पक्ष द्वारा मिलान क्षेत्रफल की प्रतिलिपि पेश की है। किन्तु मिलान क्षेत्रफल के साथ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज का मिलान करने पर हाल खसरा नम्बर 3748 वंर्किग खसरा नम्बर 1435 से बना होना पाया जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को वंर्किग जमावंदी में जितनी भूमि आवंटित हुयी थी उतनी ही भूमि हाल राजस्व अभिलेख में दोनो पक्षों के नाम अंकित है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में हाल खसरा नम्बर 1435 रकबा 1.20 व 1436 रकबा 1.29 के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज होने बाबत कथन किया है किन्तु हाल खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.38, 1433 रकबा 0.91, 1434 रकबा 1.35 व 1434/7479 रकबा 0.01 पूर्व में ही प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 1435 व 1436 का रकबा प्रार्थी की खातेदारी में सम्मिलित करने से उसकी खातेदारी आराजी का रकबा उनको आवंटित भूमि के रकबे से अधिक हो जाता है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया प्रार्थी का पक्ष सिद्व नही होता है। अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थी बहक अप्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के नाम अलग–अलग खसरा नम्बर आवंटित हुये थे जितना रकबा उभयपक्ष को आवंटित हुआ उतना ही रकबा हाल राजस्व अभिलेख में दोनो पक्षो के नाम खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार है। जब तक हाल इन्द्राज प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होते तब तक रेकोर्डड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेघाज्ञा जारी नही की जा सकती। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम देराठू के हल्के खसरा नं. 1435 रकबा 1.20 व 1436 रकबा 1.29 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "अस्वीकार" किया जाता है। प्रकार खर्चा स्वयं वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:24 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद